

न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या:- 12/86/2023

रजू दिनांक: 19.06.2023

रजि0 न0 2023/549

अपीलार्थी:-

श्री तेजपाल सैनी, निवासी बी-99, बुध
विहार, अलवर तहसील अलवर जिला
अलवर राज0 -301001

प्रत्यर्थी:-

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन सचिव
नगर विकास न्यास अलवर, जिला
अलवर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांक:- 25.07.2023

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा-6 (1) के अन्तर्गत प्रत्यर्थी को आवेदन पत्र दिनांक 28.11.2022 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही थी, जिसके उपरांत प्रत्यर्थी द्वारा पत्रांक 2267 दिनांक 17.05.2023 के माध्यम से जवाब अपीलार्थी को प्रेषित किया गया। प्रत्यर्थी के उक्त जवाब से असंतुष्ट होने से अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि प्रत्यर्थी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावे।
2. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वांछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 27.06.2023 को उपस्थित आवे।
3. अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी उपस्थित नहीं आया तथा प्रत्यर्थी से जवाब आदिनांक तक अप्राप्त है। उक्त आलोक में अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है।
4. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है, कि सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का नियत समयावधि में विधिवत निस्तारण की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें साथ ही निर्देशित किया जाता है कि यदि सूचना देयता की श्रेणी में हो तो अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध कराई जावे, निर्णय की प्रमाणित प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावे।
5. निर्णय आज दिनांक 25.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
6. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफतर हो।




(पुखराज सेन)

जिला कलक्टर अलवर (राज0)